



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ईमेल : mpbse@mp.nic.in., वेबसाईट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय:- (0755) 2551166-71

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/ 553 /2025,

भोपाल, दिनांक 01/04/2025

—: आदेश :-

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2 /2013/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 04.01.2024, क्र./एफ 07-19/2019/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 14.02.2024 एवं क्र./एफ 07-19/2019/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 31.05.2024 के निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से म.प्र. शासन के निर्देशों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल सेवा भर्ती/पदोन्नति नियम-1997 के तहत व्याख्याता के पद पर वेतनमान म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के पे-मैट्रिक्स लेवल-9 रु.36,200-1,14,800/- में न्यूनतम वेतन रूपये 36,200/- (समय-समय पर शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ निम्न अभ्यर्थियों की अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर माध्य. शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल में नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	श्रेणी	दिव्यांगता का प्रकार
1.	सुश्री मिति शर्मा / श्री महेश चन्द्र शर्मा (विषय-अंग्रेजी)	सामान्य (UR)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा समयावधि उपरान्त आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रतिवाद मान्य नहीं होगा।
- यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह मण्डल अथवा विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी परीक्षा में बिना पूर्व अनुमति के सम्मिलित नहीं होगा और न ही नियमित रूप से अध्ययन करेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/संभागीय कार्यालय/आदर्श विद्यालयों में आवश्यकतानुसार पदस्थ किया जा सकेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के संबंध में कोई प्रतिकूल स्थिति प्राप्त होने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ 07-19/2019/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 31.05.2024 की कण्डिका-2.6 के प्रावधानानुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाये तथा कण्डिका-2.7 के प्रावधानानुसार मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड से बैरा-टेस्ट (BERA TEST) अनिवार्य रूप से कराया जाये।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/सी-3- 13/ 2019/3/एक, भोपाल, दिनांक 12.12.2019 की कण्डिका-(अ) एवं (ब) के परिपेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

Parekh

9. अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ-सी-3- 15/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 24.11.2012 के अनुक्रम में यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। इस विषयक शपथ-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल/डिजीटल तथा उनकी छायाप्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत कर, समस्त मूल दस्तावेजों से मिलान करवाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता/अर्हताएं पूर्ण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नियुक्तकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र और कार्यानुभव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के संबंध में प्रतिकूल स्थिति या गडबडी/असत्य/नकली/कूटरचित पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी तथा संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
13. नियुक्त कर्मचारी पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।
14. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 01/04/2025

पृष्ठां. क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/ 554 /2025,
प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव/सहायक, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
 - 2- निज सचिव/सहायक, सचिव/आंचलिक अधिकारी/अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल/आंचलिक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, म.प्र.।
 - 3- निज सहायक, उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी/सी.एस.ओ./विधि सलाहकार/कार्यपालन यंत्री, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल।
 - 4- निज सहायक, समस्त पंजीयक/समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
 - 5- सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
 - 6- संभागीय अधिकारी, समस्त संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
 - 7- प्राचार्य, समस्त आदर्श विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
 - 8- मुख्य लेखापाल/अंकेक्षक-ऑडिट कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
 - 9- कक्षाधिकारी/वेतन पत्रक लिपिक-स्थापना-ब कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल।
 - 10- सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

म.प्र. भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ईमेल : mpbse@mp.nic.in., वेबसाईट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय:- (0755) 2551166-71

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/ 555 /2025,

भोपाल, दिनांक 01/04/2025

—:: आदेश ::—

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2 /2013/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 04.01.2024, क्र./एफ 07-19/2019/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 14.02.2024 एवं क्र./एफ 07-19/2019/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 31.05.2024 के निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से म.प्र. शासन के निर्देशों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल सेवा भर्ती/पदोन्नति नियम-1997 के तहत सहायक शिक्षक के पद पर वेतनमान म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के पे-मैट्रिक्स लेवल-6 रु.25,300-80,500/- में न्यूनतम वेतन रूपये 25,300/- (समय-समय पर शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ निम्न अभ्यर्थियों की अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल में नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	श्रेणी	दिव्यांगता का प्रकार
1.	श्री शशिकान्त आचार्य/श्री राम भरोसे आचार्य	सामान्य (UR)	बहरे और कम सुनने वाले

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा समयावधि उपरान्त आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रतिवाद मान्य नहीं होगा।
- यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह मण्डल अथवा विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी परीक्षा में बिना पूर्व अनुमति के सम्मिलित नहीं होगा और न ही नियमित रूप से अध्ययन करेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/संभागीय कार्यालय/आदर्श विद्यालयों में आवश्यकतानुसार पदस्थ किया जा सकेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के संबंध में कोई प्रतिकूल स्थिति प्राप्त होने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ 07-19/2019/आ.प्र/एक, भोपाल, दिनांक 31.05.2024 की कण्डिका-2.6 के प्रावधानानुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाये तथा कण्डिका-2.7 के प्रावधानानुसार मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड से बैरा-टेस्ट (BERA TEST) अनिवार्य रूप से कराया जाये।
- अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
- अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/सी-3-13/2019/3/एक, भोपाल, दिनांक 12.12.2019 की कण्डिका-(अ) एवं (ब) के परिपेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।

9. अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ-सी-3- 15/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 24.11.2012 के अनुक्रम में यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। इस विषयक शपथ-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल/डिजीटल तथा उनकी छायाप्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत कर, समस्त मूल दस्तावेजों से मिलान करवाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता/अर्हताएं पूर्ण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नियुक्तकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र और कार्यानुभव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के संबंध में प्रतिकूल स्थिति या गड़बड़ी/असत्य/नकली/कूटरचित पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी तथा संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
13. नियुक्त कर्मचारी पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।
14. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 01/04/2025

पृष्ठां. क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/ 556 /2025,
प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव/सहायक, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 2- निज सचिव/सहायक, सचिव/आंचलिक अधिकारी/अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल/आंचलिक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, म.प्र.।
- 3- निज सहायक, उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी/सी.एस.ओ./विधि सलाहकार/कार्यपालन यंत्री, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल।
- 4- निज सहायक, समस्त पंजीयक/समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
- 5- सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 6- संभागीय अधिकारी, समस्त संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
- 7- प्राचार्य, समस्त आदर्श विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 8- मुख्य लेखापाल/अंकेक्षक-ऑडिट कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 9- कक्षाधिकारी/वेतन पत्रक लिपिक-स्थापना-ब कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र. भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ईमेल : mpbse@mp.nic.in., वेबसाईट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय- (0755) 2551166-71

क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/ 557 /2025,

भोपाल, दिनांक 01/04/2025

-:: आदेश ::-

म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-8-2 /2013/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 04.01.2024, क्र./एफ 07-19/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 14.02.2024 एवं क्र./एफ 07-19/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 31.05.2024 के निर्देशानुसार विशेष भर्ती अभियान के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल में दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित रिक्त पदों पर वॉक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से म.प्र. शासन के निर्देशों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल सेवा भर्ती/पदोन्नति नियम-1997 के तहत सहायक ग्रेड-3 के पद पर वेतनमान म.प्र. वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के पे-मैट्रिक्स लेवल-4 रु.19,500-62,000/- में न्यूनतम वेतन रूपये 19,500/- (समय-समय पर शासन द्वारा देय मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों सहित) पर निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ निम्न अभ्यर्थियों की अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल में नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क्र.	अभ्यर्थी का नाम एवं पिता/पति का नाम	श्रेणी	दिव्यांगता का प्रकार
1.	श्री पिकेश सिंह ठाकुर/श्री गुलाब सिंह ठाकुर	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि
2.	श्री जगवीर मालवीय/श्री अर्जुन लाल मालवीय	अनुसूचित जाति (SC)	बहरे और कम सुनने वाले
3.	श्री सचिन सिंह भदौरिया/श्री नारायण सिंह भदौरिया	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	लोकोमोटर
4.	सुश्री स्वाती ठाकुर/श्री मधु कुमार ठाकुर	सामान्य (UR)	बहुविकलांगता

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा समयावधि उपरान्त आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रतिवाद मान्य नहीं होगा।
- यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से एक माह का नोटिस अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह मण्डल अथवा विश्वविद्यालय या अन्य किसी भी परीक्षा में बिना पूर्व अनुमति के सम्मिलित नहीं होगा और न ही नियमित रूप से अध्ययन करेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल के मुख्यालय/आंचलिक कार्यालय/संभागीय कार्यालय/आदर्श विद्यालयों में आवश्यकतानुसार पदस्थ किया जा सकेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से अपना स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अयोग्य घोषित किये जाने पर अथवा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के संबंध में कोई प्रतिकूल स्थिति प्राप्त होने पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।
- नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ 07-19/2019/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 31.05.2024 की कण्डिका-2.6 के प्रावधानानुसार दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों की जांच कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से अनिवार्यतः कराई जाये तथा कण्डिका-2.7 के प्रावधानानुसार मूक बधिर श्रेणी के दिव्यांगजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व मेडिकल बोर्ड से बैरा-टेस्ट (BERA TEST) अनिवार्य रूप से कराया जाये।

Kulane

7. अभ्यर्थी को सम्पूर्ण सेवाकाल में म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 का पूर्ण रूप से पालन करना होगा।
8. अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/सी-3-13/2019/3/एक, भोपाल, दिनांक 12.12.2019 की कण्डिका-(अ) एवं (ब) के परिपेक्ष्य में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% एवं तृतीय वर्ष 90% राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जायेगा।
9. अभ्यर्थी को म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक/एफ-सी-3-15/2012/1/3, भोपाल, दिनांक 24.11.2012 के अनुक्रम में यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी। इस विषयक शपथ-पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों की मूल/डिजिटल तथा उनकी छायाप्रतियां कार्यालय में प्रस्तुत कर, समस्त मूल दस्तावेजों से मिलान करवाना आवश्यक होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद हेतु निर्धारित योग्यता/अर्हताएं पूर्ण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा तथा विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय अपने नियुक्तिकर्ता अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण-पत्र और कार्यानुभव का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के संबंध में प्रतिकूल स्थिति या गड़बड़ी/असत्य/नकली/कूटरचित पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी तथा संबंधित के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जावेगी।
13. नियुक्त कर्मचारी पर परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।
14. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र. भोपाल

भोपाल, दिनांक 01/04/2025

पृष्ठां. क्रमांक/प्रशा./स्था./ए-1/SSB /2025,
प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव/सहायक, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 2- निज सचिव/सहायक, सचिव/आंचलिक अधिकारी/अतिरिक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल/आंचलिक कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर, म.प्र.।
- 3- निज सहायक, उप सचिव/परीक्षा नियंत्रक/वित्ताधिकारी/सी.एस.ओ./विधि सलाहकार/कार्यपालन यंत्री, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल।
- 4- निज सहायक, समस्त पंजीयक/समस्त प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
- 5- सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 6- संभागीय अधिकारी, समस्त संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.।
- 7- प्राचार्य, समस्त आदर्श विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 8- मुख्य लेखापाल/अंकेक्षक-ऑडिट कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल।
- 9- कक्षाधिकारी/वेतन पत्रक लिपिक-स्थापना-ब कक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल।
- 10- सर्वसंबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
म.प्र. भोपाल